

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर ida

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (म.प्र.)

फोन : 2430553

website: http://www.idaindore.org

ई पी ए बी एक्स

2531312 2434541

2533355 2545339

दिनांक--

5 April 2008

क्रमांक- 2189/भू.व्य./सुपाकन/2290

अनुविभागीय अधिकारी,
(भू-व्यपवर्तन शाखा),
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,
कलेक्टोरेट, जिला इन्दौर

विषय- इन्दौर नगर में स्थित ग्राम निपानिया सर्वे क्रमांक 191/2/1, 191/2/6, 191/2/2,
191/2/7, 100/2, 100/3, 101, 102/1, 102/3 रकबा 7.182 हेक्टेयर-की कृषि
भिन्न आशय में परिवर्तन के संबंध में।

अन्दर्भ- आपका -पत्र क्रमांक/प्रकरण क्रमांक 2/2 दिनांक 7/3/08

आवेदक- श्री ए.एस. एस. एसोसिएट्स लैफ़े पार्टनर & सजय दासोद

उपरोक्त विषयांकित भूमि ग्राम निपानिया के सर्वे क्रमांक 191/2/1, 191/2/6, 191/2/2,
191/2/7, 100/2, 100/3, 101, 102/1, 102/3 रकबा 7.182
हेक्टेयर के प्राविधिक सह-आवश्यकताओं में व्यपवर्तन-किये जाने में निम्नलिखित शर्तों के तहत
प्राधिकारी को आपत्ति नहीं है:-

1. भूमि व्यपवर्तन के पूर्व कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत प्राप्त किया जावे।
2. उपरोक्त भूमि पर विकास के पूर्व प्राधिकारी की विद्यमान अथवा प्रस्तावित योजना के प्रस्तावों एवं आसपास के विद्यमान विकास से समन्वय आवश्यक होगा।
3. उपरोक्त भूमि पर भविष्य में किसी भी प्रकार का विकास शुल्क अधिनियम के प्रावधानों अनुसार आरोपित करने हेतु प्राधिकारी स्वतंत्र रहेगा।
4. यह अभिमत पत्र जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा, परंतु इस अवधि के पूर्व अथवा भविष्य में कभी भी म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन घोषित निवेश क्षेत्र में प्राधिकारी उक्त भूमि पर नगर विकास योजना घोषित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. विकास योजना 2021 लागू होने के कारण योजना के प्रस्तावों को भी ध्यान में रखते हुए व्यपवर्तन संबंधी कार्यवाही की जाये, एवं यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।
6. भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद होने, गलत जानकारी देने अथवा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अभिमत स्वयमेव प्रभाव शून्य माना जावेगा।

मुद्रा.आ./मु.न.नि. द्वारा दिनांक 5/4/08 द्वारा अनुमोदित।

उप वास्तुविद नियोजक
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर